जान बची सो लाखों पाए

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे अहम् संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब यह खतरे में आ जाता है, तो जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ है? जेल में बंदियों के चिकित्सा के क्या प्रावधान हैं? जेल या थाने में बंदी की मृत्यु के कारण, इत्यादि। ऐसी जानकारी मिलने में देर से अंधेर हो सकता है। इसीलिए, जम्मू ऐण्ड कश्मीर राईट् टू इनफॉर्मेशन ऐक्ट 2009 में भी इस अधिकार को प्राथमिकता दी गयी है। कानून की धारा 7 के अनुसार, जहां साधारण जानकारी 30 दिनों के अन्दर मिलनी चाहिए, वहां जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जानकारी 48 घंटों के अन्दर मिल जानी चाहिए। ऐसी जानकारी लिखित में आप मांग सकते हैं:

- गिरफ्तारी से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेज़
- रोज़नामचे की प्रति
- जेल में मेडिकल दस्तावेज़ों की प्रतियाँ, इत्यादि

जम्मू ऐण्ड कश्मीर राईट् टू इनफॉर्मेशन ऐक्ट 2009 के अंतर्गत :

जानकारी लेने के लिए आप :

- जानकारी लिखित में मांग सकते हैं {धारा 6(1)}
- दस्तावेज़ों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं {धारा 2(i)}

कैसे :

- हर सरकारी दफ़्तर में PIO **(पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफ़सर)** नियुक्त हैं {धारा 5(1)}
- PIO को लिखित अर्ज़ी सामान्य शुल्क के साथ देना होगा। अर्ज़ी की प्राप्ति रसीद मिलेगी {धारा 6(1)}
- सामान्य जानकारी 30 दिनों के अन्दर मिल जानी चाहिए {धारा 7(1)}
- जानकारी पाने के लिये (फोटोकॉपी, सत्यापित नकल, दस्तावेज़ों का इंस्पेक्शन इत्यादि) अतिरिक्त शुल्क देना होगा {धारा 7(3)}
- गरीबी रेखा के नीचे आनेवाले आवेदक को कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है {धारा 7(5)}

जानकारी न मिले या गलत मिले तो आप :

- प्रथम अपील संबंधित विभाग के अपील अधिकारी (फ़र्स्ट एपिलेट अथॉरिटी) को भेजें {धारा 16(1)}
- फिर भी जानकारी न मिले तो जम्मू और कश्मीर इन्फॉर्मेशन कमिशन को अपील भेजें {धारा 16(4)}
- यदि PIO आप से आवेदन लेने से इनकार करें या 30 दिनों में कोई जवाब न दें, तो शिकायत सीधा जम्मू और कश्मीर इन्फॉर्मेशन कमिशन को भेजें {धारा 15(1)}
- PIO बिना वैध कारण अर्ज़ी लेने से इनकार करें, समय पर जानकारी न दें, जानबूझकर गलत, अधूरी या गुमराह करनेवाली जानकारी दें या मांगी गई जानकारी को नष्ट करें, तो उस PIO पर इन्फॉर्मेशन कमिशन रु. 250 से रु. 25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है {धारा 17}

कई जानकारियाँ नोटिस बोर्ड इत्यादि के माध्यम से सरकारी दफ़्तर द्वारा स्वयं बतायी जानी चाहिए {धारा (4)(1)(b)}

कॉमन्वेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

बी–117, सर्वोदय एनक्लेव, द्वितीय तल, नई दिल्ली–110 017

दूरभाषः 011–43180200 / 211, फैक्सः 011–26864688

ईमेलः info@humanrightsinitiative.org

वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

स्थानीय संपर्क–

श्री बलविंदर सिंह

श्री रमण शर्मा

Hall No. 301, A2 South Block, Bahu Plaza, Jammu

दूरभाषः +91–9419195295, 9796811012

ईमेलः jkrtiact@gmail.com, balirti_social@yahoo.com

KNOW R.T.I — NO CORRUPTION

Sangarsh — RTI MOVEMENT IN JK

जानकारी का अधिकार – जीने का अधिकार जानकारी लेना हमारा मौलिक अधिकार – जानकारी देने के लिए सरकार ज़िम्मेदार